न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :–श्री नेमा राम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :– 35/2024
जीसीएमएस नं. :– 2024/105

वादीगण :–
1. ओमप्रकाश पुत्र हरजीराम
2. गुमानराम पुत्र हरजीराम
3. पुखाराम पुत्र हरजीराम
4. मनुड़ी पत्नि हरजीराम
5. श्रवणराम पुत्र हरजीराम
जतियान माली ग्राम खवासपुरा तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर राज.।

बनाम

प्रतिवादी :–
1.भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़शहर तहसील कार्यालय पीपाडशहर जिला जोधपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री निर्मल कटारिया वादीगण की ओर से
तहसीलदार पीपाड़ शहर –प्रतिवादी

दर्ज दिनांक :–27/03/2024

आदेश

दिनांक : 27/04/2026

वादीगण ने एक वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 88 व 136 भू.राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम माडपुरिया पटवार क्षेत्र खवासपुरा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में वादीगण व अन्य की सहखातेदारीशुदा, कब्जाशुदा कृषि भूमि खसरा नबंर 61 क्षेत्रफल 2.9286 हेक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ कृषि भूमि आई हुई है जो खाता संख्या नया 124 व पूराना 107 पर इन्द्राजशुदा है। ग्राम माडपुरिया पटवार क्षेत्र खवासपुरा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में वादीगण व अन्य की सहखातेदारीशुदा, कब्जाशुदा कृषि भूमि खसरा नबंर 61/347 क्षेत्रफल 5.8491 हेक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ कृषि भूमि आई हुई है जो खाता संख्या नया 123 व पूराना 106 पर इन्द्राजशुदा है। सबूत में नकल जमाबंदी संम्वत 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी खसरा नबंर 61 व खसरा नबंर 61/347 के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता/पति का नाम हरीराम अंकित है जो कि त्रुर्तिपूर्ण नाम है जबकि वादीगण के पिता/पति का सही व वास्तविक नाम हरजीराम है। वादीगण के आधार कार्ड, परिवारकार्ड, परिचयपत्र में वादीगण के पिता/पति का सही नाम हरजीराम अंकित है इसके अलावा वादीगण के नाम से ग्राम खवासपुरा में स्थित भूमि खसरा नबंर 515, 513, 514, 516/6 में वादीगण के पिता/पति का सही नाम हरजीराम अंकित है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता/पति का नाम भुलवश सेवन से घरेलु बोलचाल का नाम हरीराम अंकित हो गया जो कि मानवीय भूल है जिसको दुरूस्त करवानें का वादीगण अधिकारी है। वादग्रस्त आराजी खसरा नबंर 61/347 के राजस्व रेकर्ड में वादी पुखाराम का नाम पुरखाराम पुत्र हरीराम अंकित है जो कि त्रुर्तिपूर्ण नाम है जबकि वादी पुखाराम का सही व वास्तविक नाम पुखाराम पुत्र हरजीराम है। वादी पुखाराम के आधार कार्ड, परिवारकार्ड, परिचयपत्र में सही नाम पुखाराम पुत्र हरजीराम अंकित है इसके अलावा वादी पुखाराम के नाम से ग्राम खवासपुरा में स्थित भूमि खसरा नबंर 515, 513, 514, 516/6 में सही नाम पुखाराम पुत्र हरजीराम अंकित है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी पुखाराम का नाम भुलवश सेवन से घरेलु बोलचाल का नाम पुरखाराम पुत्र हरीराम अंकित हो गया जो कि मानवीय भूल है जिसको दुरूस्त करवानें का वादीगण अधिकारी है। वादग्रस्त आराजी खसरा नबंर 61 व 61/347 के राजस्व रेकर्ड में वादी मनुड़ी का नाम मंजुड़ी पत्नि हरीराम अंकित है जो कि त्रुटिपूर्ण नाम है जबकि वादी मनुडी का सही व वास्तविक नाम मनुड़ी पत्नि हरजीराम है। वादी मनुडी के आधार कार्ड,

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

परिवारकार्ड, परिचयपत्र में सही नाम मनुड़ी पत्नि हरजीराम अंकित है इसके अलावा वादी मनुडी के नाम से ग्राम खवासपुरा में स्थित भूमि खसरा नबंर 515, 513, 514, 516/6 में सही नाम मनुड़ी पत्नि हरजीराम अंकित है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी मनुडी का नाम भुलवश सेवन से घरेलु बोलचाल का नाम मंजुडी पत्नि हरीराम अंकित हो गया जो कि मानवीय भूल है जिसको दुरूस्त करवानें का वादीगण अधिकारी है। यह है कि वादीगण द्वारा दिनांक 13.03.2024 को तहसीलदार पीपाड शहर के समक्ष नाम शुद्धि के लिए आवेदन किया गया जिस पर वादीगण को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की सलाह देते हुए आवेदन को लौटा दिया गया जिस पर न्यायालय के समक्ष वाद पेश करने के अलावा वादी के पास विकल्प नही है इसलिए वादीगण का उक्त वाद वास्तें सही नाम पुरखाराम पुत्र हरीराम के स्थान पर पुखाराम पुत्र हरजीराम व मंजुडी पत्नि हरीराम के स्थान पर मनुडी पत्नि हरजीराम किये जानें तथा वादीगण के पिता/पति का नाम हरीराम के स्थान पर हरजीराम किये जानें की घोषणा हेतु प्रस्तुत है। वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की घोषणा की डिकी सादिर फरमायी जावे कि ग्राम माडपुरिया पटवार क्षेत्र खवासपुरा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नबंर 61 क्षेत्रफल 2.9286 हेक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ कृषि भूमि व खसरा नबंर 61/347 क्षेत्रफल 5.8491 हेक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता/पति का नाम हरीराम के स्थान पर हरजीराम घोषित किया जावे। वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आश्य की घोषणा की डिकी सादिर फरमायी जावे कि ग्राम माडपुरिया पटवार क्षेत्र खवासपुरा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नबंर 61/347 क्षेत्रफल 5.8491 हेक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी पुखाराम का सही नाम पुखाराम पुत्र हरजीराम घोषित किया जावे। वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आश्य की घोषणा की डिकी सादिर फरमायी जावे कि ग्राम माडपुरिया पटवार क्षेत्र खवासपुरा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नबंर 61 क्षेत्रफल 2.9286 हेक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ कृषि भूमि व खसरा नबंर 61/347 क्षेत्रफल 5.8491 हेक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी मनुडी का सही नाम मनुडी पत्नि हरजीराम घोषित किया जावे।

वादीगण के वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को समन जारी किये गये। तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत जवाब अनुसार राजस्व माडपुरिया के खसरा संख्या 61, 61/347 में वादीगण के पिता का नाम हरीराम के स्थान पर हरजीराम व खसरा संख्या 61/347 में वादी पुरखाराम के स्थान पर पुखाराम एवं खसरा संख्या 61, 61/347 में वादीनी मंजुड़ी के स्थान पर मनुड़ी राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गई।

हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी, वादी के वाद पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया जिस पर वादीगण का राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य होने स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता हैं कि राजस्व माडपुरिया के खसरा संख्या 61, 61/347 में वादीगण के पिता का नाम हरीराम के स्थान पर हरजीराम व खसरा संख्या 61/347 में वादी पुरखाराम के स्थान पर पुखाराम एवं खसरा संख्या 61, 61/347 में वादीनी मंजुड़ी के स्थान पर मनुड़ी दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

निर्णय आज दिनांक 27/04/2026 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)